न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 69/2021

इमरान खत्री पुत्र मनीर खान मार्फत हाजी मुख्त्यार हुसैन, कपडा व्यापारी, जुनैद मार्केट, फुटला बाजार, झुंझुनूं 333001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 09.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.04.2021 को ऑनलाईन किया गया प्रा0प0 इस न्यायालय में दिनांक 27.04.2021 को प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 69/2021 पर दिनांक 27.04.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1250–51 दिनांक 27.04.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ16(4)(5)न्याय/सू0अ0/21/827 दिनांक 30.04.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी इमरान खत्री पुत्र मनीर खान मार्फत हाजी मुख्त्यार हुसैन, कपडा व्यापारी, जुनैद मार्केट, फुटला बाजार, झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 23.03.2021 को आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/103 दिनांक 31.03.2021 द्वारा पत्र प्राप्ति अनुभाग व निजी अनुभाग सहायक जिला कलक्टर को नियमानुसार सूचना 7 दिवस मे इस कार्यालय मे भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया ताकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। निजी सहायक जिला कलक्टर ने अपने पत्र क्रमांक 346 दिनांक 07.04.2021 व पत्र प्राप्ति शाखा प्रभारी ने दिनांक 22.04.2021 को इस कार्यालय मे सूचना उपलब्ध करवाई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कुल 198 पेज मे होने के कारण अपीलार्थी को प्रति पेज 2 रूपये के हिसाब से कुल 396 रूपये राजकोष मे जमा करवाने हेतु आरटीआई पार्टल क्रमांक 1616374116 दिनांक 15.04.2021 के द्वारा लिखा गया। अपीलार्थी ने आरटीआई पोर्टल के क्रमांक 1910523316 दिनांक 22.04.2020 के द्वारा राजकोष मे कुल 396 रूपये जमा करवाये। जिसके संबंध मे प्रार्थी को आरटीआई पोर्टल क्रमांक 1015003415 दिनांक 27.04.2021 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही। (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ16(4)(5)न्याय/सू0अ0/21/827 दिनांक 30.04.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी इमरान खत्री पुत्र मनीर खान मार्फत हाजी मुख्त्यार हुसैन, कपडा व्यापारी, जुनैद मार्केट, फुटला बाजार, झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 23.03.2021 को आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/103 दिनांक 31.03.2021 द्वारा पत्र प्राप्ति अनुभाग व निजी अनुभाग सहायक जिला कलक्टर को नियमानुसार सूचना 7 दिवस मे उनके कार्यालय मे भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया ताकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। निजी सहायक जिला कलक्टर ने अपने पत्र क्रमांक 346 दिनांक 07.04.2021 व पत्र प्राप्ति शाखा प्रभारी ने दिनांक 22.04.2021 को उनके कार्यालय मे सूचना उपलब्ध करवाई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कुल 198 पेज मे होने के

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कारण अपीलार्थी को प्रति पेज 2 रूपये के हिसाब से कुल 396 रूपये राजकोष मे जमा करवाने हेतु आरटीआई पार्टल कमांक 1616374116 दिनांक 15.04.2021 के द्वारा लिखा गया। अपीलार्थी ने आरटीआई पोर्टल के कमांक 1910523316 दिनांक 22.04.2020 के द्वारा राजकोष मे कुल 396 रूपये जमा करवाये। जिसके संबंध मे प्रार्थी को आरटीआई पोर्टल कमांक 1015003415 दिनांक 27.04.2021 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। फिर भी यह विचारणीय है कि प्रार्थी को प्रमाणित एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लो0सू0अ0 (अति0 जिला कलक्टर), झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को 7 दिवस मे पुनः पूर्ण एवं प्रमाणित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

6. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
09/06/21